कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार, देवरिया

पत्रांक संख्या : 1170(16)/न0पं0भ0बा0–2014–15, दिनांक : 22 जनवरी, 2015

अल्पकालिक निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के अवशेश धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो हेतु नगर पालिका, जिला पंचायत तथा लोक निर्माण विभाग आदि के पंजीकृत ठेकेदारों जिनका पंजीयन वर्तमान समय में प्रभावी है, से मुहरबंद निविदायें दिनांक 05–02–2015 को आमंत्रित की जाती है, जो कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार के पटल पर रखी गयी निविदा बाक्स में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक डाली व उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे अध्यक्ष नगर पंचायत भटनी बाजार देवरिया के कार्यकक्ष में उपस्थित ठेकेदारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित भुल्क जमा कर दिनांक 04–02–2015 को 11:00 बजे से 02:00 बजे अपरान्ह तक नगर पंचायत भटनी बाजार कार्यालय व कलेक्ट्रेट देवरिया स्थित एल0बी0सी0/टी0ए0सी0 पटल से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत/धरोहर धनराशि के रूप में एन0एस0सी0, के0वी0पी0, एफ0डी0आर0 आदि जो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भटनी बाजार के पदनाम बंधक हों मूल रूप में संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि के प्रपत्रों की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा संबंधित जानकारी किसी भी कार्यदिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से निविदा क्रय करने की तिथि तक कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार से ज्ञात की जा सकती है। उक्त विज्ञापन को वेबसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है। यदि उपरोक्त निर्धारित तिथियों को अवकाश घोशित होता है तो अगले कार्यदिवस में निविदा प्रपत्रों की बिक्री/निविदा जमा करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।

निर्माण कार्यों का विवरण :–

क0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मुल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	श्री भोला यादव के मकान से धर्मेन्द्र यादव के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	496100.00	49600.00	500.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
2	श्री आदर्श शिक्षण संस्थान से महेन्द्र यादव के खेत तक नाला निर्माण कार्य।	496100.00	49600.00	500.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
3	श्री कैलाश के खेत से अमीन मियां के घर तक नाला निर्माण कार्य।	496700.00	49700.00	500.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
4	श्री रमायन यादव के खेत से मदन यादव के तक नाला निर्माण कार्य।	497900.00	49800.00	500.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
5	श्री हनुमान मंदिर से छोटी गंडक तक नाला निर्माण कार्य।	494000.00	49400.00	500.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
6	रमेश वर्नवाल के मकान से अशोक मद्धेशिया के दुकान तक नाली तथा स्लैब निर्माण कार्य।	181900.00	18200.00	200.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
7	तारकेश्वर के मकान से पोखरी तक मिट्टी भराई कार्य	121900.00	12200.00	100.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
8	संजय तिवारी के मकान से अजय मणि के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	232500.00	23300.00	200.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
9	संजय भार्मा के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक इंटरलाकिंग निर्माण	180400.00	18000.00	200.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
10	सुशील भार्मा के मकान से नसीम के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	122000.00	12200.00	100.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।
11	रविन्द्र यादव के मकान के सामने क्रासिंग निर्माण कार्य	124000.00	12400.00	100.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अन्दर।

नियम एवं शर्तें :–

1– निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड की छाया प्रति, एवं टिन नम्बर प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– निविदादाता को अपने निविदा के साथ 10 प्रतिशत की दर से जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राश्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 आदि को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–2 जमानत हेतु कि0वि0प0/एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा।

3– निविदा स्वीकृति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के संबंध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबंध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

4– ठेकेदार को निर्माण स्थल पर अपने निर्माण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।

5– ठेकेदार को निर्माण कार्य कार्यादेश में दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

6– ठेकेदार को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य कराना होगा। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

7– निर्माण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/न0पं0 द्वारा दिए गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

8– जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोशजनक पाये जाने पर अंतिम भुगतान के पश्चात छः माह व्यतीत हो जाने पर, जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी ।

9– निविदादाता को अपनी निविदा स्पश्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी। मदवार अलग–2 दरें मान्य नहीं होंगी।

10– किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

11– निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पश्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र में अंकित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

12– किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

13– इन्टरलाकिंग कार्य में ईंट की गिट्टी उपलब्ध न होने की दशा में पत्थर की गिट्टी से बेड तैयार किया जा सकता है, इसका उल्लेख एस्टीमेट में किया जायेगा।

14– निविदा प्रपत्र पर कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा।

15– निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित तिथियों पर यदि सार्वजनिक अवकाश घोशित होता है तो उसके अगले कार्यदिवस में निविदा प्रक्रिया सम्बंधित कार्यवाही की जायेगी।

16– प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए अलग–2 जमानत धनराशि संलग्न करके मुहरबंद लिफाफे में डालना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग– जमानत धनराशि प्रपत्र लगाना अनिवार्य होगा। एक साथ कई निविदाओं की जमानत धनराशि संलग्न करने पर निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

17– अवर अभियंता स्थानीय निकाय द्वारा भुगतान के समय बिल से कटौती की गयी आयकर, वाणिज्य कर व रायल्टी आदि धनराशि वापस नहीं किया जायेगा बल्कि उस धनराशि को सम्बंधित लेखाशीर्शक से कोशागार/भारतीय स्टेट बैंक भााखा देवरिया में जमा कर दिया जायेगा।

(सीताराम यादव)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।

(विजय कुमार गुप्त)
अध्यक्ष
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।